International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 02(II), April - June, 2024, pp. 161-165

किसान आत्महत्या और मानवाधिकार : एक विश्लेषण

प्रताप सिंह राठौड़*
प्रोफेसर जगमाल सिंह शेखावत**

सार

कृषि किसी भी राष्ट्रको जिन्दा रखने की बुनियाद होती है। कृषि में प्रकृति का महत्व, प्रकृति किस प्रकार कृषि को प्रभावित करती है। भारती की अर्थव्यवस्था में लिए गए निर्णयों ने कृषि क्षेत्र को किस प्रकार एक गैर मुनाफे के कार्य में तब्दील कर किसान आत्महत्या को बढ़ावा दिया। साथ ही वैश्वीकरण और किसान आत्महत्या के आपसी सम्बन्धों को जानने का प्रयास किया गया है। मानवधिकार द्वारा किसान आत्महत्या को रोकने के लिए उठाये गये कदम साथ ही किसान आत्महत्या का कारण समझने तथा इसका उचित समाधान निकालने का प्रयास किया गया है।

शब्दकोशः *आत्महत्या, वैश्वीकरण, अवसाद, अप्राकृतिक।*

प्रस्तावना

भारत में किसान आत्महत्या 1990 के बाद पैदा हुई स्थिति है जिसमें प्रतिवर्ष 5 से 10 हजार किसानों द्वारा आत्महत्या की जाती है। जिसका मुख्य कारण कृषि का मानसून पर निर्भर और मानसून की असफलता के कारण नकदी फसले नष्ट होना, साथ ही सूखा, फसल की उचित कीमत किसानों को न मिलना, ऋण का बोज आदि महत्वपूर्ण कारण है।

वर्तमान में भारत में किसान आत्महत्या सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 48.9ः आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है जिसने वर्ष 2020–21 में भारत की जीडीपी में 19.19% का योगदान दिया। भारत का कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

किसान आत्महत्या भारत के लिए इतना चुनौतीपूर्ण विषय होने के पश्चात् भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मुद्दे को इतना महत्व नहीं दे रहा। भारत में औसतन हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है[1] भारत सरकार को इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए योजनाओं तथा नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिल सकें।

फसल चौपट हुई वाघोडा के किसान गांव बेचने को तैयार सामुहिक इच्छामृत्यु की मांग को लेकर तहसीलदार को सौपा ज्ञापन[2] कारंजा तहसील की ये घटना किसानों कि समस्याओं को बयान करती है कि किसान किस प्रकार सभी तरह से समस्याओं का सामना कर रहा है।

---

* शोधार्थी, लोक प्रशासन, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
** पूर्व विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

कृषि व्यवसाय अवधारणा

कृषि व्यवसाय से तात्पर्य उत्पादन से प्रसंस्करण और विपणन से वितरण तक वाणिज्यिक कृषि प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल व्यवसायों से है, इस क्षेत्र की कंपनियों उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए छोटे पैमाने के किसानों को एकीकृत करती है।[3] कृषि उद्योग दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, सभी राष्ट्र अपनी कृषि भूमि पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने में लगे है इस तरह से उद्योग के भीतर व्यवसायों को नए उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के तरीकों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है जिसमें समग्र दक्षता में सुधार के लिए अन्य कंपनियों या किसानों के साथ एकीकरण शामिल है।

अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, कृषि उद्योग के भीतर व्यवसाय इस तरह की रणनीतियाँ लागू करते हैं ऊर्ध्वाधर एकीकरण और मूल्य श्रृंखला का उपयोग कृषि व्यवसाय में खाद्य उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल है।

अवसर

- एक साथ काम करने वाले व्यवसाय नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा देते है।
- खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने की संभावना को जन्म देता है।
- बेहतर रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन में मदद करता है।
- अधिक कार्य क्षमता लाता है।

चुनौती

- प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ा
- उपभोक्ता मांगों में परिवर्तन
- संसाधन और मिट्टी की कमी
- कृषि भूमि में कमी
- कृषि उत्पादों की वैश्विक कीमतें बदलना
- जलवायु या मौसम का पेटर्न बदलना
- जनसंख्या वृद्धि

किसान और आत्महत्या

मनुष्य एक स्वतंत्र प्रकृति का सामाजिक प्राणी है, जिसे अपना समग्र विकास, स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करने तथा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है अधिकार ही मनुष्य के व्यक्तित्व की रक्षा करते है इसी कारण मनुष्य को जन्म के साथ ही कुछ विशेष अधिकार विधि द्वारा प्राप्त होते है जिन्हें मानवाधिकार कहते है मानवाधिकार का महत्व व्यक्ति के जीवन में बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएँ और युद्ध के माहौल में मानवता की रक्षा के लिए मानवाधिकार महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में कृषि राज्य सूची का विषय है अतः कृषि सम्बन्धित सभी प्रकार की प्रोन्नति एवं विकास का कार्य राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है भारत सरकार का कृषि मंत्रालय राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के कृषि से सम्बन्धित कार्य एवं किसानों के विकास एवं हित का अधीक्षण करता है।[4] भारत आज भी एक कृषि प्रदान राष्ट्र है जहाँ आज भी 48.9 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है इसमें भी अधिकतर किसान कृषि के लिए बारिश पर निर्भर है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण असामान्य बारिश और बे मौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान का सामना करना पड़ता है जो कही न कही किसान आत्महत्या का महत्वपूर्ण कारण बनता है।

किसान आत्महत्या के महत्वपूर्ण आयाम

- अंतर्राष्ट्रीय (वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गेट समझौता आदि)
- राष्ट्रीय (सरकारी नीतियां, स्वास्थ्य सेवाएं, बैकिंग और भूमि सुधार आदि)
- स्थानीय (मानसून, सिंचाई एवं विद्युत सेवाएं आदि)
- व्यक्तिगत एवं पारिवारिक (अवसाद, तनाव, दुश्चिंता, स्वास्थ्य समस्याएं, जाति एवं वर्गगत समस्याएं आदि)

किसान आत्महत्या के मामले में पिछले कई सालों से कोई सुधार नहीं है अपितु कृषि श्रमिकों के आत्महत्या के मामले बढ़ते नजर आ रहे है। सरकारी नतियों का इस पर कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है।

राष्ट्रीय अभिलेख अपराध ब्यूरों (NCRB) प्रतिवर्ष दुर्घटना से होने वाले मौते व आत्महत्याओं के आंकड़े प्रलेखित करता है इस के अनुसार पिछले कुछ सालों का विवरण इस प्रकार है।[5]

वर्ष	किसान आत्महत्या	कृषि श्रमिकों द्वारा आत्महत्याएं
2018	5763	4586
2019	5959	4324
2020	5579	5098
2021	5318	5563
2022	5207	6083

NCRB की सन् 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11290 किसानों व कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की जिनमें से 5207 किसान थे इनमें से अधिकांश आत्महत्याएं महाराष्ट्रा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, केरल, तेलगाना व छत्तीसगढ़ राज्यों में हुई है जिसका मुख्य कारण सूखा, अत्यधिक कर्ज, बे मौसम बारिश थी किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मुख्य कारण इस प्रकार है :—

- कृषि की मानसून पर निर्भरता।
- उचित मूल्य पर खाद बीज आदि का उपलब्ध न होना।
- फसल का उचित मूल्य प्राप्त न होना।
- अपर्याप्त शीतगृहों का होना।
- कर्ज लेकर कृषि करना।
- कृषि सम्बन्धी योजनाओं की सही जानकारी न होना।
- कृषि क्षेत्र में बिचौलियों का वर्चस्व।
- पारिवारिक कारण।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारतीय परिदृश्य में खेती एक मंहगा सौदा होती जा रही है जो भारत के लिए एक संकट का विषय बनता जा रहा है। किसान आत्महत्या केवल किसी एक किसान की आत्महत्या नहीं है बल्कि वह एक सामाजिक सोच एवं संस्कृति की आत्महत्या भी है।[6] औद्योगिकीकरण व वैश्वीकरण के पश्चात् कृषि की नीतियों में बहुत बदलाव हुआ है जिससे मुनाफे के सौदे की जगह घाटे का सौदा होने लग गया जिस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सरकार की नीतियां एवं योजनाएं भी इस पर अपना ध्यान केन्द्रीत नहीं करती है जिससे यह मुद्दा सिर्फ अखबारों तथा पेपर तक ही सीमित रह जाता है।

मानवाधिकार और किसान आत्महत्या

मानव अधिकार मानव के समग्र विकास के लिए एक आवश्यक अस्त्र है। मानव अधिकार का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि व्यक्ति विभिन्न कारणों से जीवन में असुरक्षित महसूस करता है यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से अप्राकृतिक मौतें बड़े पैमाने पर होने लगी है। मानव अधिकारों की घोषणा में किसानों के बारे

में कोई विशेष घोषणा नहीं की गई। भारत सरकार की ओर से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत् राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के हनन के मामलों को देखता है उनका संज्ञान लेकर समय–समय पर कार्यवाही भी करता है परन्तु देखा जाये तो 'ह्यूमन राइटस' समाचार पत्रों के अनुसार ज्यादातर मामले पुलिस हिरासत में मौत, कानूनी कार्यवाही में विफल, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता, अवैध गिरफ्तारी, सत्ता का दुरूपयोग, अपहरण, बलात्कार से सम्बन्धित है लेकिन जिस प्रकार किसान आत्महत्या कर रहा है वो इन समाचार पत्रों का मुद्दा नहीं बन पा रहा है और न ही मानव अधिकार आयोग इस पर पर्याप्त ध्यान दे पा रहा है। किसान आत्महत्या को न के बराबर महत्व दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अभिलेख अपराध ब्यूरों (NCRB) की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार किसानों द्वारा आत्महत्या का मुख्य कारण उनका दिवालिया होना व ऋण ग्रस्तता है। इसके अतिरिक्त कृषि सम्बन्धित मामले भी एक अन्य मुख्य कारण है।[7]

क्र. सं.	कारण	किसान आत्महत्या
1	गरीबी	92
2	सम्पति का झगड़ा	86
3	शादी सम्बन्धी मामले	157
4	पारिवारिक समस्याएं	933
5	कृषि सम्बन्धी समस्या	1562
6	बीमारी	842
7	शराब की लत	330
8	समाज में इज्जत की कमी	11
9	दिवालिया व ऋण ग्रस्तता	3097 (38.7:)
10	कारण पता नहीं	334
11	अन्य कारण	563

उक्त सारणी के आधार पर 70: आत्महत्याएं मानव अधिकार के हनन के दायरे में आती है जो कि मानवाधिकार आयोग की नजरों से अछूता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग को इस पर अपना ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए। अखिल भारतीय बायोडाइक और डायनेमिक फॉर्मिग एसोसिएशन बनाम प्रधान सचिव 5 मई 2006[8] ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर जालना जिले में किसानों की आत्महत्या पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज (TISS) ने एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था और राज्य में किसानों द्वारा आत्महत्या की रिपोर्ट से लेकर नौकरी के लिए व्यापक प्रस्तुतिकरण की पेशकश की गई थी। राज्य सरकार और केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को इन कार्यवाहियों में गंभीर भागीदारी पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते है कि भारतीय परिदृश्य में खेती एक मंहगा सौदा होती जा रही है जो विभिन्न आयामों से न केवल कृषकों अपितु सम्पूर्ण कृषक व्यवस्था को भी समाप्त करने को उतारू है। किसान आत्महत्या को नियंत्रण में करने के लिए सरकार की नीतियों को किसानों के अनुकूल बनाने कि आवश्यकता है साथ ही कृषि नीतियों को किसानों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसान आत्महत्या के मुद्दे को गम्भीरता से लेना चाहिए। साथ ही सभी अप्राकृतिक कारणों में सुधार कर किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। भारत को विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। किसान को मौसम की सही जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वह पूर्व अनुमान लगाकर अपनी फसलों की रक्षा कर सके। साथ ही सरकार को किसानों की समस्याओं को गम्भीरता से सुनना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Centre for Human Right and Global Justice (2011).
2. दैनिक भास्कर नागपुर संस्करण (18 जुलाई 2015)।
3. आकृति, पीटर जॉनसन, 19 अप्रैल, 2024।
4. मानव अधिकार : नई दिशाएं, अंक–14, पृष्ठ–89।
5. राष्ट्रीय अभिलेख अपराध ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट।
6. मानव अधिकार : नई दिशाएं, अंक–14, पृष्ठ–73।
7. वही, पृष्ठ–102।
8. अखिल भारतीय बायोडाइक और डायनेमिक फॉर्मिंग एसोसिएशन बनाम प्रधान सचिव, 5 मई 2006।

❖◆❖